†[شری محمد افضل عرف م- اجیل :
یہ بہت اہم مسئلہ ہے - اسکا
سیریس نوٹ سرکار کو لینا چاہئیے -]

श्री राज मोहन गांधी (उत्तर प्रदेश) : महोदय , मैं भी बहुत दुख के साथ अपने आप को इससे साथ एसोसिएट करता हूं ।

SHRI JAGDISH TYTLER: Please tell this to your colleagues, the communists.

Need for provision of a ship for Haj Pilgrims

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ शीश अफजल (उत्तर प्रदेश): मोहतरिम, मैंने 12 तारीख को एक मसला इस हाउस में जीरो आवर में उठाया था । खुशी की बात यह है कि उस बात पर उस वक्त पूरे हाउस में कई मैम्बरान ने मेरी उठाई बात का समर्थन किया । लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार ने अभी तक उस मसले पर क्या ध्यान दिया है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है । हज, इस्लाम के पांच फरीजों में से एक है । एक मुसलमान पर यह वाजिफ है कि अपनी जिन्दगी में तोहीद नमाज, रोजा जकात और हड, इन पांच बातों को पूरा करे । लेकिन मैंने उस दिन यह बात बताई थी कि हिन्दुस्तान के तकरीबन हर साल एक लाख हाजी सऊदी अरेबिया हज करने को जाना चाहते हैं । मगर चूंकि यहां फारन एक्सचेंज की कमी है और मुल्क की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम जेरबार कर सकें । इसलिए हुकूमतें हिंद ने जो कोटा मुकरर किया है हम उसी को इक तरफा करते हैं और उसी को पूरा समझ कर उसी तादात में भेजने की कोशिश करते हैं । हज की दरख्वास्तों की लाटरी सिस्टम से जाने वालों का चुनाव करते हैं । लेकिन इस साल एक बहुत ही अहम परेशानी हमारे सामने आई । खुशी की बात यह है कि शिपिंग और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री जगदीश टाइटलर साहब यह पर बैठे हुए हैं । इस परेशानी से वे खुद भी वाकिफ हैं इसलिए कि पिछले साल में उन्होंने अपना भरपूर कोआपरेशन हाजियों को शिप से भेजने के सिलसिले में दिया । मैं आपको अपना बताना चाहता हूं कि पहले एम० जी० अकबर नाम का जहाज हाजियों को सऊदी अरेबिया ले जाया करता था ।

लेकिन पिछले साल उसकी लाइफ खत्म हो गयी और इस साल के लिए हमारे पास कोई शिप नहीं था । हमने जगदीश टाइटलर साहब से दरख्वास्त की, हमने होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की , हमने बाद में वजीरे आजम साहब से दरख्वास्त की, मैं सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से यह बात कह रहा हूं । कहा जाता है कि वजीरे आजम साहब की दिलचस्पी के बाद हमारे लिए इसका इंतजाम किया गया । अंडमान-निकोबार के पास एक शिप था । उसको कहा गया क्योंकि अप्रैल के अंदर पोलैंड से नया शिप आने वाला है, वह वहां पर लग जाएगा और अंडमान निकोबार वाला जो जहाज है, हज यात्रियों को ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं । लेकिन बडे अफसोस की बात है, मैं अंडमान निकोबार के लोगों की जरूरतों को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, मुझे इसका उतना ही अहसास है जितना कि अंडमान निकोबार के लोगों को होना चाहिए ।
. . . (व्यवधान) . . .

मैं यह अर्ज कर रहा था कि वह जहाज जो कि 7 अप्रैल को मुम्बई बंदरगाह से रवाना होना चाहिए था और 14 तारीख को हाजियों का पहला जत्था लेकर सऊदी अरब पहुंचने वाला था उस जहाज को 19 तारीख को मद्रास से मुंबई जाना था और 19 अप्रैल से पहले 14 तारीख को पोर्ट ब्लेयर से मद्रास जाना था । लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी की यूनिट ने एक रिट पेटीशन दायर कर दी और उस पर गालिबन स्टे ले लिया । यहां जो हमारे लोक सभा के कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं, उन्होंने तो इसके खिलाफ एजीटेशन चलाया कि यह शिप जो है यह हाजियों के लिए इस्तेमाल न हो । मुझे वह जो एजीटेशन है या वह जो स्टे लिया गया है, उस पर कोई बात करने का हक नहीं है । हमारी . . . (व्यवधान) . . . मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम सरकार का ध्यान इस ओर दिलायें कि जरूरी इंतजाम आप

†[] Transliteration in Arabic Script.

[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल] फोरन करें और हमारे पांच हजार हाजी जो हर साल शिप से जाते हैं, उनका जाना यकीनी बनाया जाय । लेकिन 12 तारीख से आज 18 तारीख हो गयी। मैंने जाती तौर पर होम मिनिस्टर साहब से और फारेन मिनिस्टर साहब से बात की और इस तरफ उनकी तवज्जह दिलाई। लेकिन मुझे यह जानकारी हुई, यह उर्दू का अखबार है "कोमी आवाज" इसमें एक रिपोर्ट साया की गयी है । इसमें उसने अपने रिवोर्सेज से लिखा है कि हुकूमत कोई यकीनदानी कराने के लिए तैयार नहीं है कि हाजियों को कैसे ले जाया जाय । सर मैं यह कहना चाहता हूं कि हम क्या करें । हमारा सैड्यूल मुक्कमल है, पूरे हज का हम प्लान बनाने चुके हैं, सऊदी अरब में इंडियन हाई कमीशन को हम इन्फार्मेशन दे चुके हैं और हाजियों की लिस्ट तैयार कर चुके हैं । लेकिन अभी तक हमको शिप के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई है ।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : गवर्नमेंट जरूर कुछ करेगी ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : मैं यह बात कहना चाह रहा हूं। तजवीज यह आई है कि जो मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं । ऐसा मालूम होता है कि जिन हाजियों को शिप से नहीं ले जाया जा सकता है, चूंकि शिप अवेलेबल नहीं है, तो उनकी हवाई जहाज से भेजा जाएगा । मैं आपके इल्म में यह बात लाना चाहता हूं कि शिप से जो जाने वाले हैं, वे शिप से क्यों जाते हैं ? हुजूर, उसका किराया सिर्फ तीन हजार रुपया है जब कि हवाई जहाज का किराया पिछले साल दस हजार रुपया था, सब्सिडी देने के बाद और इस साल वह बढकर गालेबन कुछ और ज्यादा हो जाएगा । एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम इन पैसेंजर्स को, जो शिप से जाने वाले थे, उनको हवाई जहाज से भेजे तो दो-ढाई करोड रूपया इन गरीब यात्रियों पर भारी पडता है और अगर किराया बढ़ जाता है तो वह चार करोड रुपए तक भी जा सकता है । मेरी सरकार से यह गुजारिश है और खासतौर से हमारे शिपिंग और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, मेरे पास कोई खास तजवीज तो नहीं है लेकिन जो शिप पोलेंड से आने वाला है, उसके सिलसिले में कोशिश की जाय कि वह जल्दी आ जाय । या अगर पासिबल हो तो टेंप्परेरी तौर पर अंडमान-निकोबार के लिए कोई जहाज किसी बाहरी कंपनी से किराए पर ले लिया जाय । यह 10–20 दिनों का मामला है । क्योंकि हमारा जहाज 7 तारीख को जाना है और पोलेंड का यह जहाज 15, 20, 25 तारीख तक के दरम्यान आने वाला है, इसलिए यह सिर्फ 10–20 दिनों का मामला है, मैं अंडमान-निकोबार की अवाम से भी अपील करूंगा कि हज यात्रियों के ताल्लुक से यह एक अहम मसला है। लोगों के जज्बात इसमें वाबस्ता है । बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है हज पर जाने का । पैसा पैसा आदमी जमा करता है तब जा कर उसका इंतजाम करता है । अगर उसमें बाधा पड़ गई तो हमारे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी और सरकार की भी बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ेगा । मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इमीडियेटली शिपिंग और ट्रांस्पोर्ट मंत्री जी की, होम मिनिस्टर साहब की, फारेन मिनिस्टर साहब और सेंट्रल हज कमेटी के मेम्बरान की तुरंत एक मीटिंग फौरी तौर पर दिल्ली में बुलाई जाए और इस मसले का हल ढूंढने के लिए कोई तरीकाये ढूंढा जाए ।

श्री शब्बीर अहमद सलारिया (जम्मू और कश्मीर): मैं अफजल साहब पेशकर्दा स्पेशल मेंशन के साथ एस्सोसियेट कर हुए हकूमते वक़त से कहूंगा कि हिन्दुस्तान की सब से बड़ी माइनारिटी मुसलमान हैं और उनका बड़ा अहम फरीज़ा हज है । इसको अदा करने के लिए तमामतर सहूलते फ़राहम करना हकूमते हिन्दुस्तान का फर्ज है । अगर वह ऐसा नहीं कर सकते तो वह अपने फ़र्ज में कोताही कर रहे हैं । मैं हकूमत पर ज़ोर दूंगा और उससे अर्ज़ करूंगा कि खुदारा इस अहम काम के लिए और इस मज़हबी फरीज़ा की सरअंजामदेही के लिए वह तमामतर वसायल को सामने लाए । जनाबे मिनिस्टर साहब जो कि यहां तशरीफ रखते हैं, ट्रांसपोर्ट और मैरीन वगैरह से इनको अख्तियार है, यह यकीनेकामिल है नौजवान

हैं और काबिल हैं, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे ताकि हज़ारों आदमी हज की अदायगी से रह न जाएं । इस तरीके से उनको गम और मुश्किल का सामना न करना पड़े । इन अल्फाज के साथ, मैं इस स्पेशल मेंशन के साथ एस्सोसिएट करता हूं ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : मैं भी अपने आप को इस स्पेशल मेंशन से संबद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह तजवीज भारत सरकार द्वारा कमैंट मांगने पर की है ।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : मैं भी इस स्पेशल मेंशन से अपने आप को संबद्ध करती हूं ।

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY (Tamil Nadu): I associate myself with the special mention made by Shri Mohammed Afeal. The ship should be made available to the Haj pili-grims immediately.

श्री चतुरानन मिश्र : मंत्री महोदय, बैठे बैठे कह रहे हैं, ज़रा उठ कर के कह दीजिये तो अच्छी बात होगी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : ऐसा है मिश्रा जी, स्पेशल मेंशन के बाद मंत्री महोदय इंटरवीन करें या नहीं करें, इस संबंध में सदन में काफी बहस हो चुकी है । मैं अपने ओर से नहीं कह रहा हूं लेकिन यह कई बार बातें उठी हैं ऐसा हुआ है । अगर इस संबंध में कुछ कहना चाहें तो रोकूंगा नहीं । मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYT-LER): Sir, since this is a serious matter, we are equally concerned. We are working towards some kind of a solution because it is not concerned with one community but it concerns the whole of India and we are all part of is.

STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF PUBLIC LIABILITY INSURANCE (AMENDMENT) ORDINANCE, 1998 AND THE PUBLIC LIABILITY INSURANCE (AMENDMENT) BOX, 1992

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Now, we are taking up the Public Liability Insurance (Amendment) Bill, 1992 and the statutory resolution thereon by Shri Chaturanan Mishra.

SHRI CHATURANAN MISHRA (Bihar): Sir, I move:

> That this House disapproves of the Public Liability Insurance (Amendment) Ordinance, 1992 (No. 6 of 1992), promulgated by the President on the 31st January, 1992.

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह थोड़ा सा आश्चर्य लग सकता है कि कम्युनिस्ट हो करके इस बिल का हम क्यों विरोध करते हैं जबकि हम ही लोग इसके पक्ष में रहे हैं । इसका कारण यह है कि हम आपके आर्डिनेंस के सेक्शन 2(ए) की तरफ जिसमें एक्सीडेंट को डिफाइन किया गया है कि तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ।

> '(a) "accident" means an accident involving a fortuitous or sudden or unintended ' occurrence while handling any hazardous substance resulting in continuous or intermittent or repeated exposure to death of, or injury to, any person or damage to any property but does not include an accident by reason only of war or radio-acti vity;'

यहीं से हमारा मतभेद शुरू होता है । प्रोपर्टी शब्द की कहीं डेफिनिशन नहीं दी गई है कि प्रोपर्टी क्या है । आर्डिनेरिली प्रोपर्टी को हम जिस ढंग से लेते हैं उसमें पानी, हवा या दूसरी जो पर्यावरण की चीजें हैं वह प्रोपर्टी में नहीं आती हैं । हम लोगों का सब का अनुभव